उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-199/2017/2009/92-2-2017-65जॉच/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 07 नवम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ में महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में अपने अधीनस्थ कार्यो एवं कार्मिको पर नियंत्रण न रखने, उच्चाधिकारियों के आदेशों का अनुपालन न करने, उ0प्र0 शासन द्वारा परिचालित दिशा निर्देशों, आदेशों व वित्तीय नियमों का अनुपालन न करने तथा अधिशासी अभियंता के रूप में सौपे गये दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिये प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-75/2016/1894/92-2-16-65जांच/2016 दिनांक 25-11-2016 द्वारा श्री पी0के0 त्रिवेदी, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासिनक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता,(पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। प्रकरण में अनुमोदित आरोप-पत्र शासन के पत्र दिनांक 09-01-2017 द्वारा निर्गत किया गया।

2- इसी मध्य श्री पी0के0 त्रिवेदी के दिनांक 30-11-2016 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-23/2017/174/92-2-17-65जांच/2016 दिनांक 27-01-2017 द्वारा श्री त्रिवेदी के विरूद्व संस्थित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित कर दिया गया।

3- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता, पूर्वी, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0-984/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/पी0के0त्रि0/एस0टी0-123/17-18 दिनांक 20-06-2017 द्वारा श्री त्रिवेदी का बचाव उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में एक पक्षीय जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी, जिसमें श्री त्रिवेदी पर अधिरोपित तीनो आरोप सत्यापित पाये गये। श्री पी0के0 त्रिवेदी पर सिद्ध पाये गये आरोपो के संबंध में शासन के पत्र सं0-1064/92-2-17-65जांच/2016 दिनांक 21-07-2017 द्वारा उनका अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 27-07-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। परीक्षणोपरान्त श्री पी0के0 त्रिवेदी के विरूद्व शासन द्वारा निर्गत आरोप पत्र के आरोप संख्या-3 में उ0प्र0 सरकारी सेवको की आचरण नियमावली के प्रस्तर-3(क), जो त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया था, के स्थान पर प्रस्तर-3 सामान्य (1) एवं (2) अंकित करते हुये पूर्व निर्गत आरोप पत्र दिनांक 09-01-2017 के शुद्धि-पत्र दिनांक 28-08-2017 के क्रम में शासन के पत्र सं0-1813/92-2-17-65जांच/2016 दिनांक 03-10-2017 द्वारा श्री पी0के0 त्रिवेदी से आरोप संख्या-3 पर पुन: अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 21-10-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

4- श्री पी0के0 त्रिवेदी के विरूद्व लगाये गये आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित तीनो आरोप सत्यापित पाये गये] जो निम्नवत है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) शासन द्वारा श्री पी0के0 त्रिवेदी, की तैनाती प्रखण्ड-प्रतापगढ में अधिशासी अभियंता के पद के दायित्वो का निर्वहन करने हेतु की गयी थी। बीमार हो जाने के कारण दिनांक 24-01-2013 से 27-01-2013 तक इलाहाबाद स्थित प्रीति नर्सिंग होम के प्राइवेट वार्ड-14 में श्री त्रिवेदी भर्ती रहे तथा चिकित्सकों की देखरेख में इलाज कराया गया। बिना स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र के श्री त्रिवेदी द्वारा पुन: प्रतापगढ का कार्य पूर्ववत की भांति किया जाने लगा। उक्त अवधि का अवकाश श्री त्रिवेदी द्वारा सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नही कराया गया तथा उनके द्वारा अपने अधिकारो का दुरूपयोग करते हुये उक्त अवधि का वेतन स्वयं आहरित कर लिया गया। इस प्रकार श्री त्रिवेदी को अपने अधिकारों का दुरूपयोग करने, स्वेच्छाचारिता से मनमाने ढग से कार्य करने तथा वित्तीय अनियमितता करने के लिये पूर्णतया उत्तरदायी पाया गया।

(2) डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का कार्य विभाग द्वारा कराया जाना था, जिनके निर्माण कार्यो से संबंधित निविदायें बिना आगणन स्वीकृत किये ही श्री त्रिवेदी द्वारा आमंत्रित की गयी, जबकि नियमानुसार श्री त्रिवेदी का यह दायित्व था कि आगणन स्वीकृति के उपरांत ही निविदा आमंत्रण संबंधी कार्यवाही करते। इस प्रकार श्री त्रिवेदी नियमों के विपरीत मनमाने ढंग से अपनी स्वेच्छाचारिता से कार्य करने तथा शासन की महतवपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता बरतने एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने के लिये पूर्णतया उत्तरदायी है।

(3) श्री पी0के0 त्रिवेदी द्वारा अपने पद के दायित्वों का निर्वाहन स्वेच्छाचारिता एवं मनमाने ढंग से किया गया, जिससे उनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध होना परिलक्षित होता है एवं उनके द्वारा अधिशासी अभियंता के पद के दायित्वों का निर्वहन न करने की पुष्टि होती है।

5- चूंकि प्रकरण में किसी प्रकार की शासकीय क्षति कारित किया जाना नही पाया गया और श्री त्रिवेदी दिनांक 30-11-2016 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो चुके है। ऐसी स्थिति में श्री त्रिवेदी को किसी प्रकार का दण्ड दिये जाने का अवसर शेष नही रह जाता है। अतएव श्री पी0के0 त्रिवेदी के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 25-11-2016 द्वारा संस्थित अनुशासिनक कार्यवाही, जिसे शासन के कार्यायलय ज्ञाप दिनांक 27-01-2017 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया, को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 199/2017/2009(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री पी0के0 त्रिवेदी, तत्का0 अधिशासी अभियंता,(सेवानिवृत्त) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-प्रतापगढ द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।